भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 587

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना

587. श्री ईरण्ण कडाडी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय न्यायिक प्रणाली पर कुल कितना व्यय किया गया, इसके लिए आवंटित निधि का द्विभाजित ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायिक प्रणाली द्वारा न्यायालय फीस / जुर्माने / शास्ति के माध्यम से अर्जित किए गए कुल राजस्व/आय का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) न्याय प्रदायी प्रणाली को और अधिक डिजिटल बनाने की कौन-कौन सी योजना है, यदि हां, तो विभिन्न योजनाओं के तहत की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की निचली न्यायपालिका की अवसंरचना का किस प्रकार स्तरोन्नयन करने की योजना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्याय विभाग, भारतीय न्यायिक प्रणाली को मजबूत और अच्छी तरह से सुसज्जित बनाने के लिए विभिन्न स्कीमें संचालित कर रहा है । विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के अधीन पिछले पांच वर्ष के दौरान किए गए व्यय निम्नानुसार हैं:

स्कीम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ग्राम न्यायालय के संचालन की स्कीम सहित न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित	629.21	658.00	990.00	599.00	692.14

स्कीम					
ई-न्यायालय	374.11	282.76	179.26	179.31	98.30
न्याय तक पहुंच/दिशा	5.73	15.46	28.67	33.53	39.96
न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए अनुसंधान कार्रवाई	1.26	1.54	1.25	1.06	-*

***स्कीम एक स्कीम घटक नहीं रह गई है ।**

(ख) : न्याय विभाग द्वारा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 प्रशासित किया जाता है । तथापि, न्यायालय फीस/जुर्माने/शास्तियों के माध्यम से जनित राजस्व/आय पर इस विभाग में केन्द्रीय रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) : ई-न्यायालय परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई योजना" पर आधारित भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में वर्ष, 2007 से कार्यान्वित एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है । ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी । ई-न्यायालय का चरण-1 वर्ष, 2015 में समाप्त हुआ था जिसमें 14,249 न्यायालय स्थलों का कंप्यूटरीकरण किया गया था । परियोजना का चरण-2 वर्ष, 2015 में 1,670 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रारंभ किया गया था जिसमें से 1668.43 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हैं । चरण-2 के अधीन अब तक कुल 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

• वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के भाग के रूप में 2992 न्यायालय परिसरों में से 2972 (99.3 % स्थल) को विभिन्न प्रौद्योकियों जैसे कि ओएफसी, आरएफ, वीएसएटी का प्रयोग करते हुए 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

• प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है ।

• ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का प्रयोग करके अधिवक्ता और मुवक्किल 20.86 करोड़ मामलों और 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

• अधिवक्ताओं/मुवक्किलों आदि. को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए सृजित 7 प्लेटफार्मों या सेवा परिदान चैनलों के माध्यम से सिटिजन सेंटरिक सेवाएं प्रदान की जाती है । ये सेवाएं

एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), न्यायिक सेवा केन्द्र (जेएससी), सूचना कायोस्क, अधिवक्ताओं/मुवक्किलों के लिए मोबाइल एप (30 अप्रैल, 2022 तक कुल 79.65 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप (04 जुलाई, 2022 तक कुल 17,369 लाख डाउनलोड) है

• तारीख 04.07.2022 से यातायात अपराधों के विचारण के लिए 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 20 आभासी न्यायालय प्रचालित हैं । इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों में सुनवाई की है और 271 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है ।

• वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से तारीख 30.04.2022 तक जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों में और उच्च न्यायालयों ने 63,76,531 मामलों में (कुल 1.92 करोड) सुनवाईयां की हैं । लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से तारीख 13.06.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2,61,338 सुनवाईयां की है । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा प्रचालित की गई है । तेलंगाना और उत्तराखंड में मामलों के त्वरित निपटान के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग हेतु वाई-फाई और कंप्यूटरों से सुसज्जित मोबाइल ई-न्यायालय वैन प्रारंभ की गई हैं । गुजरात, उडीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में मीडिया और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को कार्यवाहियों में भाग लेना अनुज्ञात करते हुए कार्यवाहियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग का सीधा प्रसारण प्रारंभ किया है ।

• अद्यतन विशेषताओं जैसे ऑनलाईन वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना, ई-हस्ताक्षर करना, शपथ पर ऑनलाईन विडीयों रिकार्डिग, ऑनलाईन संदाय, बहु आईए/ आवेदन फाईल करना, पोर्टफोलियो प्रबंधन और द्विभाषिक रीति आदि. के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । न्यायालय फीस, जुर्माने, शास्तियों और न्यायिक निक्षेपों का ऑन-लाईन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरम्भ किया गया है ।

• न्याय परिदान को समावेशी बनाने के लिए और डिजिटल खाई को पाटने के लिए अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं ।

• निर्णयों की खोज करने में उसके पणधारियों की सुविधा के लिए http://judgement.ecourts.gov.in पर उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों

के संग्रह का उपबंध करके एक 'निर्णय और आदेश खोज' पोर्टल प्रारंभ किया गया है ।

• प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

• न्याय के विकास के लिए एक नई वेबसाइट प्रारंभ की गई है जो माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय के दर्शन को पूरा करती है । यह वेबसाइट संपूर्ण देश के सभी न्यायालयों के S3WaaS मंच पर प्रारंभ की जाने वाली वेबसाइटों की एक श्रृखंला है जिसके लिए न्याय विभाग ने 4.28 करोड़ रुपए की निधियों का उपबंध किया है । उसी प्लेटफार्म पर ई-वाणिज्य के लिए एक अनन्य वेबसाइट भी प्रारंभ की गई है ।

(घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पेटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमे जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का निर्माण समाविष्ट है । यह स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी समाविष्ट होगा।

****